

राजस्थान सरकार

शिक्षा विभाग

**आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर**

क्रमांक: प 8(17) रूकटा/राष्ट्रीय/15/3919

दिनांक: 23/02/2018

**आदेश**

राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1986 में संशोधन के क्रम में राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 4 (ग) में दिनांक 02 फरवरी 2018 को प्रकाशित अधिसूचना के अनुसरण में राजकीय महाविद्यालयों के व्याख्याताओं का पदनाम निम्नानुसार किया जाता है :-

क्र. सं.	संशोधन पूर्व पदनाम	पे-बेण्ड	शैक्षणिक ग्रेड वेतन (AGP)	संशोधित पदनाम
1	व्याख्याता (सामान्य वेतन शृंखला)	15600-39100	6000	सहायक आचार्य Assistant Professor
2	व्याख्याता (वरिष्ठ वेतनमान)	15600-39100	7000	सहायक आचार्य Assistant Professor
3	व्याख्याता (चयनित वेतनमान)	15600-39100	8000	सहायक आचार्य Assistant Professor
4	व्याख्याता (पे बेण्ड IV )	37400-67000	9000	सह-आचार्य Associate Professor

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)

आयुक्त, कॉलेज शिक्षा एवं शासन सचिव,  
उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: प 8(17) रूकटा/राष्ट्रीय/15/3919

दिनांक: 23/02/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, उच्च शिक्षा मंत्री राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, एवं शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त संयुक्त निदेशक / वित्तीय सलाहकार / उपविधि परामर्शी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. प्राचार्य, समस्त राजकीय महाविद्यालय / महिला महाविद्यालय / विधि महाविद्यालय।
6. संबंधित सहायक आचार्य / सह- आचार्य
7. वेबसाइट प्रभारी - विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. स्थापना शाखा / रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (एच.आर.डी.)